चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 18.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 18.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 सुरेश प्रताप सिंह ,उ0नि0 जंगबहादुर सिंह थाना पहाड़ी व उनकी टीम द्वारा ग्राम मकरी पहरा से अभियुक्त रामबाबू यादव उर्फ रामू पुत्र रामकेश यादव निवासी ग्रा0 नरायनपुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी अवैध तमंचा 315 बोर चालू हालत में व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद पटेल नि0 अहमदगंज बेड़ी पुलिया थाना कर्वी जनपद चित्रकूट कमर पर 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

01. रामबाबू यादव उर्फ रामू पुत्र रामकेश यादव निवासी ग्रा0 नरायन पुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 26 वर्ष

02. रोहित सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद पटेल नि0 अहमदगंज बेड़ी पुलिया थाना कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी -

02 अदद देशी तमंचा 315 बोर से 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम-

01.उ0नि0 सुरेश प्रताप सिंह थाना पहाड़ी
02.उ0नि0 जंगबहादुर सिंह
03.उ0नि0 अरमान आलम
04.का0 कमलेश कुमार
05. का0 आनन्द प्रताप सिंह
06. हे0का0 सौरभ कुमार
07. का0 विनोद कुमार
08.चालक हे0का0 कृष्ण पाल सिंह

(4). आज दिनाँक 18.01.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध,उ0प्र0,अपर निदेशक(विधि),अभियोजन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में पुलिस लाइन्स स्थित कान्हा सभागार में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री दिनेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में अभियोजन अधिकारीगणों द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में 19 बिन्दु के प्रारुप पर पूर्ण सूचना एवं अभिलेख प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में जनपद के समस्त विवेचकगणों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण में समस्त अभियोजन अधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक जनसूचना सेल श्री जयप्रकाश उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय,प्रभारी रिट सेल श्री वीर प्रताप सिंह,प्रभारी निरीक्षक मॉनिटिरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं जनपद के अन्य विवेचकगण उपस्थित रहें।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती

द्वारा आज दिनाँक 18.01.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 141/022 धारा 379/411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उर्फ टिर्रा पुत्र गया सिंह निवासी रामपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहरपुर को 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 16.04.2022 को वादी संतोष करवरिया पुत्र योगेन्द्र करवरिया निवासी बलदाऊगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अज्ञात चोर द्वारा मेरी दो पहिया वाहन टीवीएस मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP96K0878 चोरी कर ली गयी है सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 141/022 धारा 379/411 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना उ0नि0 श्री गौरव तिवारी द्वारा की गयी । दिनाँक 31.07.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

(6). अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त भूरेलाल पटेल पुत्र रामकरन पटेल निवासी राम खेड़ा सरवई जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश को 15 लीटर कच्ची शराब के सात गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिलकुमार गुप्ता

2.आरक्षी अजय पटेल

3.आरक्षी अमर सिंह